26.07.18

वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में गिर्राज वगैरहा ने धारा 136 का प्रार्थना पत्र लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाकर दिनांक 26.11.2010 को प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत ककराला में इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 1933, 1934, 1936, 1938, 2129, 2130 वांके ग्राम लिवाली तहसील बामनवास प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण ने कभी किसी व्यक्ति के यहॉ रहन मुर्तहिन नही की। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से लगभग 40 वर्ष पूर्व से गलत तरीके से उक्त आराजी को कल्याण पुत्र सुआ खटीक के नाम रहन मुर्तहन अंकित कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजी पर से नारायण, बदरी, आनंदा, केशरया पिसरान कल्याण कौम खटीक निवासी लिवाली का नाम रहन मुर्तहिन से हजफ किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 26.11.2010 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर **"राहिन नारायण, बदरी, आनंदा, केशरया पिसरान कल्याण कौम खटीक सा0 देह मुतहिन"** को हजफ करने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र जिस दिन पेश हुआ उसी दिन स्वीकार कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रिकार्ड से नाम हजफ करने के आदेश पारित किये हैं। धारा 136 में सिर्फ सहमति के आधार पर तकनीकी दुरूस्ती की जा सकती है। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट नही ली है, न ही रिकार्ड तलब किया गया है और न ही अपीलान्ट को सुना गया है। अपीलान्ट को बिना सुने ही अपीलान्ट का नाम हजफ कर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज आनन्दी / राधामोहन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिया। जबकि ऐसे प्रकरण दावे के तहत ही सुने एवं निस्तारित किये जा सकते हैं। विवादित आराजी अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से ही खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई वास्ता नहीं है। अपीलान्ट का नाम मुर्तहन दर्ज है। अपीलान्ट को सुनना चाहिये था। उक्त आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त किया जावे।

हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दावे का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 43 उपधारा 4 का उल्लेख कर अपना मत प्रकट किया है। उक्त आदेश टेनेन्सी एक्ट के तहत दिया गया है। जबकि प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश हुआ है जिसमें प्रार्थी ने दुरूस्ती चाही है। धारा 136 के तहत दुरूस्ती दोनों पक्षकारों की सहमति के आधार पर केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को धारा 136 के बजाय दावे में परिवर्तित करने के आदेश दिये जाने चाहिये तथा दावे के अनुसार ही पक्षकारों को सुनकर साक्ष्य लेकर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.11.10 को प्रार्थना पत्र पेश हुआ और दिनांक 26.11.10 को ही संबंधित पक्षकार एवं राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट लिये बिना तथा बिना रिकार्डेड पक्षकार की सहमति के धारा 136 का प्रार्थना पत्र के तहत अपीलान्ट का नाम हजफ कर प्रकरण निस्तारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के, बिना रिकार्ड रिपोर्ट लिये ही निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय पूर्ण रूप से अनुचित होने से विधिसम्मत् नही कहा जा सकता है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत किसी तकनीकी बिन्दु को पक्षकारों की सहमति के आधार पर ही दुरूस्त करने का आदेश दिया जा सकता है। धारा 88, 89 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रकरण को धारा 136 में मानकर, बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित किया जाना सरासर गलत है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिल्कुल अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील एडमीशन स्टेज पर ही स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.11.10 निरस्त किया जाता है। उक्त निर्णय की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 26.11.10 को निरस्त किया जाकर निर्णय दिनांक 26.11.10 के पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर